

चैक लिस्ट प्रमाण—पत्र

परियोजना का नाम :-

माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 492/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सल्ट में शहीद हरि सिंह मोटर मार्ग तौलबुधानी से रत्खाल तक मोटर मार्ग।(5.625 किमी.) (2.520 हेक्टेएर)

प्रमाणित किया जाता है कि सभी प्रमाण—पत्र चैक लिस्ट के अनुसार लगाये गये हैं।

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

फैक्ट सीट

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 492/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सल्ट में शहीद हरि सिंह मोटर मार्ग तौलबुधानी से रतखाल तक मोटर मार्ग |(5.625 किमी.)(2.520 है)

2- प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है. में) -

आरक्षित वनभूमि	-	2.160 है	
सिविल राज्य वनभूमि	-	0.180 है	
वन पंचायत वनभूमि	-	0.180 है	
योग	-	2.520 है	
निजी भूमि	-	2.5425 है	

3- प्रस्तावित विभाग का नाम - प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

4- वन प्रभाग का नाम - अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

5- प्रस्ताव बांडिंग किया गया है -

हाँ / नहीं

6- प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है -

हाँ / नहीं

7- क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है -

हाँ / नहीं

8- क्या प्रारूप में बांचित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है -

हाँ / नहीं

9- प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है -

हाँ / नहीं

10- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण-पत्र संलग्न है -

हाँ / नहीं

11- बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है - बांज वृक्ष प्रभावित नहीं होते हैं।

हाँ / नहीं

12- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है -

हाँ / नहीं

13- समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है -

हाँ / नहीं

14- क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है -

हाँ / नहीं

15- क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है -

हाँ / नहीं

16- क्या मानचित्र में क्षतिपूरक स्थल को दर्शाया गया है -

हाँ / नहीं

17- प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है -

हाँ / नहीं

18- क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है -

हाँ / नहीं

19- प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है -

हाँ / नहीं

यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ / नहीं

20-	क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है -	हाँ / नहीं
21-	प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है - (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)	हाँ / नहीं
22-	क्या मानचित्र में प्रभावित प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है -	हाँ / नहीं
23-	यदि सड़क का आर्मीक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है -	हाँ / नहीं
24-	क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है -	हाँ / नहीं
25-	यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।	हाँ / नहीं
26-	सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं -	हाँ / नहीं
27-	वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)	हाँ / नहीं
28-	लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है (5 है. से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)	हाँ / नहीं
29-	मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है -	हाँ / नहीं
30-	मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है - अथवा मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है -	हाँ / नहीं
31-	राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है -	हाँ / नहीं
32-	क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न हैं यदि छायाप्रतियां संलग्न की गई हैं तो क्या वे सत्यापित हैं -	हाँ / नहीं
33-	यदि वनभूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है -	हाँ / नहीं
34-	वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है -	हाँ / नहीं
35-	क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है -	हाँ / नहीं
36-	क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न है -	हाँ / नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई हैं।

अधिकारी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
सरनीखेत

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा